

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 21/2022 प्रार्थना पत्र 14(4)

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा तहसील बसवा जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. प्रताप सिंह पुत्र हजारीसिंह जाति राजपूत निवासी उनबडागांव तहसील बसवा जिला दौसा।

अप्रार्थी

(प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन रूल्स विरुद्ध आवंटन आदेश आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई दिनांक 21.12.2004 जिसके तहत प्रार्थी प्रताप सिंह पुत्र हजारी सिंह को ग्राम उनबडागांव में खसरा नम्बर 551 रकबा 0.51 है. का आवंटन किया गया है)

उपस्थिति : श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

: अप्रार्थी अनुपस्थित।

—:निर्णय:—

दिनांक: 29.08.2024

संक्षिप्त में तहसीलदार बसवा द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र 14(4) के तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम उनबडागांव तहसील बसवा जिला दौसा में प्रताप सिंह पुत्र हजारीसिंह को भूमि खसरा नम्बर 551 रकबा 0.51 है. दिनांक 21.12.2004 में कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी। उक्त आवंटि के नाम गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 387 दिनांक 01.03.2005 दर्ज किया जाकर जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 167 पर गैर खातेदारी का खाता दर्ज किया गया है। उक्त आवंटित भूमि की मौका जांच पटवारी हल्का से करवाई जिसकी मौका रिपोर्ट दिनांक 10.01.2022 के अनुसार आवंटि का मौके पर कब्जा नहीं होना पाया तथा मौके पर भूमि पडत पडी हुई है। आवंटि का मौके पर कब्जा नहीं होने से एवं मौके पर भूमि पडत पडी हुई होने से आवंटन शर्तो की पालना नहीं होना पाया जाने के कारण आवंटि का आवंटन निरस्त किया जाकर उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज करने हेतु यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र 14(4) पेश होने पर जरिये रजिस्टर्ड नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी को बार-बार अवसर दिये जाने के बाद भी अप्रार्थी ना तो स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुआ ना ही जवाब पेश किया गया और ना ही बहस के दौरान उपस्थित हुआ। राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आवंटि को ग्राम उनबडागांव तहसील बसवा जिला दौसा में अप्रार्थी प्रताप सिंह पुत्र हजारीसिंह को भूमि खसरा नम्बर 551 रकबा 0.51 है. भूमि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) की शर्तो के अनुसार दिनांक 21.12.2004 को आवंटित की गई थी। आवंटन की शर्तो के मुताबिक आवंटि को भूमि आवंटन के दो वर्ष के अवधि में भूमि को सुधार कर उस पर काश्त करना अनिवार्य है। इसी शर्त के साथ आवंटि को भूमि आवंटित की गई थी, किन्तु आवंटि का आवंटनशुदा भूमि पर ना तो कभी कोई कब्जा रहा और ना ही भूमि पर आवंटि द्वारा कोई काश्त की गई। अप्रार्थी को आवंटित की गई भूमि मौके पर पडत पडी हुई है तथा मौके पर आवंटि का कब्जा नहीं है। आवंटि द्वारा आवंटन की शर्तो का उल्लंघन करने से उक्त आवंटन दिनांक 21.12.2004 को निरस्त फरमाया जाकर उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश फरमावे।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 21/2022 प्रार्थना पत्र 14(4)

राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थी को खसरा नम्बर 551 रकबा 0.51 है। भूमि दिनांक 05.02.2013 को आवंटित की जाकर जरिये नामान्तरण संख्या 387 दिनांक 01.03.2005 आवंटी प्रताप सिंह पुत्र हजारी सिंह के नाम गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड की गई है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 551 रकबा 0.51 है। जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 में आवंटी अप्रार्थी प्रताप सिंह पुत्र हजारीसिंह के नाम गैर खातेदार दर्ज है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 10.01.2022 के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं होना तथा मौके पर भूमि पडत पडी हुई होना व्यक्त करते हुये आवंटी का आवंटन आदेश दिनांक 21.12.2004 निरस्त करने का निवेदन किया गया है। किन्तु पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का उनबडागांव की रिपोर्ट दिनांक 10.01.2022 में उक्त आवंटी एवं आवंटित भूमि का उल्लेख न होकर ग्राम उनबडागांव के आराजी खसरा नम्बर 1075/2299, 2443/2211 किता 2 रकबा 0.19 है। का मौका देखा जाना एवं जमाबन्दी सम्वत 2073-76 के खाता संख्या 169 में मुकेश पुत्र नाथू जाति माली गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड होना अंकित किया गया है इस प्रकार उक्त रिपोर्ट प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित नहीं है। तहसीलदार बसवा द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार आवंटन की शर्तों के मुताबिक आवंटी को भूमि आवंटन के दो वर्ष की अवधि में भूमि को सुधार कर उस पर काश्त करना अनिवार्य है, इस शर्त के साथ भूमि आवंटन किया जाना किन्तु आवंटी का उक्त भूमि पर ना तो कभी कोई कब्जा रहा और ना ही भूमि पर आवंटी के द्वारा कोई काश्त की गई। उक्त कथन के सम्बन्ध में आवंटन दिनांक 21.12.2004 के पश्चात् दो वर्ष के अन्दर आवंटित भूमि पर काश्त नहीं करने सम्बन्धित गिरदावरी एवं सम्बन्धित पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत नहीं की गई है। आवंटन के 18 वर्ष बाद खसरा गिरदावरी सम्वत 2076-2078 पेश की गई है। इसलिये आवंटन की शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तों का पालन नहीं किये जाने के सम्बन्ध में आवंटन दिनांक 21.12.2004 के पश्चात् दो वर्ष की अपेक्षित तत्कालीन खसरा गिरदावरी एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट पेश नहीं किये जाने से प्रार्थना पत्र 14(4) इसी स्तर पर स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण तहसीलदार बसवा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में अप्रार्थी को आवंटित की गई भूमि के सम्बन्ध में पुनः जांच कर आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के सम्बन्ध में भूमि आवंटन दिनांक 21.12.2004 के पश्चात् अपेक्षित तत्कालीन खसरा गिरदावरी एवं पटवारी हल्का से प्रश्नगत आवंटित भूमि के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त कर यदि तत्कालीन खसरा गिरदावरी एवं पटवारी रिपोर्ट में अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किया जाना पाया जाता हो तो अपेक्षित दस्तावेज सहित प्रार्थना पत्र 14(4) पुनः न्यायालय में प्रस्तुत किया जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ तहसीलदार बसवा का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शूमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं प्रविष्ट अभिलेखागार की जावे।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 29.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

( सुमित्रा पारीक )

अति. जिला कलक्टर ,दौसा

( सुमित्रा पारीक )

अति. जिला कलक्टर ,दौसा